

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net E-mail: bsgmadhypradesh@gmail.com Phone ☎: 2661263, Fax: 2737446

क्र०/ 1037 /रा०मु०/प्रशि.स्का./2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/5/2017

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पदेन जिला जिला मुख्य आयुक्त जिला(म०प्र०) ।
- 2 सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश संभागीय कार्यालय (म०प्र०) ।

विषय :- सेल्फ लर्निंग मॉड्युलर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बाबत ।

सन्दर्भ:- राज्य के वार्षिक कार्यक्रम 2017-18के अनुसार ।

विषयान्तर्गत लेख है कि जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर सेल्फ लर्निंग मॉड्युलर शिविर 10 जुलाई से 20 अगस्त 2017 के मध्य आयोजित कर सूची एवं प्रतिवेदन दिनांक 25 अगस्त 2017 तक ई-मेल डाक द्वारा प्रेषित करें ।

सेल्फ लर्निंग मॉड्युलर शिविर में प्रतिभागियों से पंजीयन शुल्क के रूप में राशि रू० 100/- प्रति सदस्य लिया जावे । जिसमें से 50 प्रतिशत स्काउटिंग के हेण्ड आउट, स्वल्पाहार एवं 50 प्रतिशत की राशि राज्य मुख्यालय के खाते में जमा कर जमा पर्ची की पावती प्रतिवेदन एवं सूची के साथ संलग्न कर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।

सेल्फ लर्निंग मॉड्युलर शिविर में समस्त शासकीय/अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय/हाईस्कूल/ उ०मा०विद्यालय/आवासीय विद्यालय एवं आदिवासी/अनुसूचित जाति छात्रावासों के अधीक्षक/शिक्षक/शिक्षिका भाग ले सकेंगे । अशासकीय विद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षक/शिक्षिकाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराना सुनिश्चित करें ।


सेल्फ लर्निंग मॉड्युलर शिविर में व्यय निम्नानुसार होगा-

- 1 प्रतिभागी विद्यालय के स्काउट-गाइड निधि से राशि रू० 100/- प्रति सदस्य शिविर स्थल पर जमा कराया जाना है । उक्त 100/- रुपये में से 25/- रुपये की नोटबुक, पेन एवं स्वल्पाहार में व्यय किया जावेगा एवं 25/- रुपये की राशि में से पाठ्यक्रम के बिन्दुवार जानकारी की छायाप्रति प्रति प्रतिभागियों को दी जावे ।
- 2 शिविर का संचालन लीडर ट्रेनर (स्काउट) एवं सहायक लीडर ट्रेनर (स्काउट) द्वारा किया जावेगा । सहायक के रूप में हिमालय वुड बैज (स्काउट) /डी०ओ०सी० (स्काउट) को लिया जावेगा । जिस जिले में लीडर ट्रेनर (स्काउट) एवं सहायक लीडर ट्रेनर (स्काउट) नहीं है वहाँ ए०एस०ओ०सी० स्वयं करें ।
- 3 सेल्फ लर्निंग मॉड्युलर शिविर में संचालक द्वारा देने वाले हेण्डआउट की फाईल पूर्व से ही आवश्यकता अनुसार तैयार कर शिविर स्थल पर दी जावें । हेण्डआउट प्रति विकास खण्ड 50 की संख्या में लेकर जावें एवं आवश्यकता पड़ने पर शिविर स्थल में छाया प्रति कराई जावें ।

—: निर्धारित पाठ्यक्रम :-

- 1 स्काउटिंग/गाइडिंग के उद्देश्य एवं आधार भूत सिद्धान्त।
- 2 स्काउटिंग/गाइडिंग के नीति नियम एवं सिद्धांत।
- 3 स्काउटिंग की उत्पत्ति एवं प्रचार प्रसार
- 4 आंदोलन का इतिहास।
- 5 स्काउट गाइड का गुणात्मक विकास।
- 6 स्काउटिंग की विभिन्न शाखायें एवं विधि।
- 7 युनिट लीडर्स का प्रगतिशील प्रशिक्षण।
- 8 स्काउटिंग और संगठन।
- 9 स्काउटिंग और समुदाय।
- 10 स्काउट/गाइड हेतु साहित्य की जानकारी।

उपरोक्त प्रतिभागियों से बेसिक शिविर हेतु संलग्न राजमति पत्र की पूर्ति करवाकर प्रतिवेदन के साथ 25.05.2017 तक भेजे।



राज्य सचिव


जिला स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश

गोपाल, दिनांक 29/5/2017

पु.प्र.0/ 1038 /स0गु0/प्रशि.रव.ग./2017

प्रतिवेदन :- सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु-

- 1 आधुप्रत, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश गौतमनगर गोपाल
 - 2 आधुप्रत, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन गोपाल
 - 3 संचालक, लोक शिक्षण संभाग(स0प्र0)।
 - 4 संगतगीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास (स0प्र0)।
 - 5 जिला सचिव/जिला संगठक/प्रशिक्षण आयुक्त(स्काउट/गाइड)(स0प्र0)
- उपरोक्त और भेज कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिभागियों की नाम, पूर्ण पता एवं नगरपालिका नम्बर सहित कम्प्यूटर पर टंकित कर प्रतिवेदन के साथ एक प्रति एवं एक प्रतिलिपि राज्य मुख्यालय के ई-मेल पर भेजे अन्यथा प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 6 सहायक लीडर ट्रेनर (स्काउट) एवं सहायक लीडर ट्रेनर (गाइड) मध्यप्रदेश



राज्य सचिव

जिला स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश